हैं एक बनाई गई है, जिसका काम होगा कि लॉंग टर्म की जो स्ट्रेटिजी है, उसके बारे में वह बातचीत करेगी और तय करेगी और उसका चेयरमैन बनाया गया है असम के चीफ सैक्रेटरी को उसमें जो कमांडर है, मिलिट्री कमांडर, जी०ओ०सी०, वह भी रहेगा, लेकिन उसका चेयरमैन चीफ सैक्रेटरी होगा और दूसरी एक कमेटी बनाई गई है ऑपरेशनल काम के लिए जो एकच्युअल ऑपरेशन्स होंगे, उन ऑपरेशन्स को प्लान करना, देखना, संभालना और मॉनिटर करना और इस कमेटी के चेयरमैन होंगे जी०ओ०सी० मिलिट्री कमांडर तो इस ढंग से वह आपस में कोआर्डिनेट करके काम कर रहे हैं अभी तक तो लगता है कि कुछ अच्छा नतीजा भी निकल रहा है और वह प्रचार जो लोग पहले कर रहे थे, वह प्रचार सब सुनने में नहीं आता।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Thank you, Mr. Home Minister. We had a fruitful discussion. I wish you would bring about peace in the North-Eastern region, which will help in the development of the area.

Now, we take up discussion on the Ministry of Welfare. We had concluded the discussion, which was raised by Shri Sunder Singh Bhandari on 8th May. We discussed it on 8th and 9th May. Now, the Welfare Minister is to reply. Shri Balwant Singh Ramoowalia.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF WELFARE— (CONTD.)

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, कल्याण मंत्रालय के बारे में सदन के प्रतिष्ठित सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। पूरे अध्ययन के साथ और कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों के बारे में, माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाए, मैं उनके एक-एक सवाल का जवाब देने का और उस पर अपने विचार व्यक्त करने का प्रयत्न करूंगा।

माननीय श्री सुंदर सिंह भंडारी जी, श्री अजीत जोगी जी, श्री सनातन बिसि जी, श्री रामनाथ कोविन्द जी, खुद, जनाब, आपने, श्री थलवै सुन्दरम जी, ब्रह्म कुमार भट्ट जी, श्री मौरिस कुजूर जी, गोविन्द राम मिरी जी, इन माननीय सदस्यों ने मेरे मंत्रालय के प्रति अपने बहुमूल्य ज्ञान से मुझे ऐजुकेट किया और मेरे सामने कुछ मसले रखे। श्री भंडारी जी ने स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि बहुत से राज्यों में जो ऐलोकेशन आफ फंड है, वह पर्याप्त नहीं है, उसके प्रति पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि 25 राज्यों और 7 केन्द्र शासित राज्यों में, 21 राज्यों और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों में काफी गिनती में अनुसूचित जाति है।

इनमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली। ये ऐस राज्य हैं जहां अनुसूचित जातियों की गिनती न के बराबर है। हमने अपने मंत्रालय की ओर से भरपूर यत्न किए और उनके परिणामस्वरूप बात कुछ आगे बढ़ी है। स्पैशल कंपोनेंट प्लान, जो आबादी के लिहाज से होना चाहिए, वह 16.48 प्रतिशत बनता है। सन 1992-93 में यह 8-89 परसेंट था जो 1996-97 में बढ़कर 11.53 परसेंट हो गया है। मैंने एक जून को इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला था और तब से इसको बढ़ाने की कोशिश की है। मैं भंडारी जी से यह कहना चाहूंगा कि वर्ष 1997-98 में यह और भी बढ़ेगा।

भंडारी जी ने राज्यों के बारे में पूछा था कि राज्य अपने फंड से कितना देते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि राज्यों ने भी इसमें बढ़ोत्तरी की है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि मैंने प्लानिंग कमीशन में इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने भी हमें सहयोग दिया और इसी वजह से अभी जो बजट पास हुआ है 1997-98 का, उसमें भी इस मद में और बढ़ोत्तरी की गई है।

माननीय भंडारी जी और कोविंद जी ने एक और मुद्दा उठाया था कि जो सिर पर मैला ढोने की प्रथा है, उन सफ़ाई कर्मचारियों के प्रति सरकार का रवैया क्या है और उसका क्या नतीजा निकला है। उन्होंने यह आशंका भी जाहिर की थी कि शायद इन कर्मचारियों की ठीक-ठीक संख्या का भी पता नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि पूरे देश में 8,25,572 ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर पर मैला ढोते हैं। श्री ब्रह्म कुमार भट्ट और श्री भंडारी जी ने यह भी पूछा था कि उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि 1995-96 में ऐसे एक लाख लोगों को हमने रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी है और ढाई लाख लोगों का पुनर्वास किया है। केरल, पांडिचेरी और नार्थ-ईस्ट के कुछ राज्यों को हम सिर पर मैला ढोने की प्रथा से मुक्त कर पाने में सफल हो गए हैं और हमें उम्मीद है कि इस नौवें प्लान के दौरान हम इस कलंकित प्रथा से मुक्त हो जाएंगे।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण (पंजाब): मैं आपसे

यह जानना चाहता हूं कि जिन ढाई लाख लोगों का आपने रिहैबिलिटेशन किया है, उनको क्या-क्या रोजगार आपने दिया है, कोई एजुकेशन दी है, क्या किया है?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया: मैं उसी पर आ रहा था, आपने पहले ही प्रश्न कर कर दिया। जो लोग सिर पर मैला ढोने के अलावा दूसरे छोटे-मोटे धंधे कर सकते थे, उसके लिए हमने उनको सहायता दी है और बैंक लोन्स भी दिए हैं। बैंक लोन अगर मान लीजिए 10,000 रुपए का है तो हमने उसमें 50 प्रतिशत सबसिडी उनको दी है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: और उसके बाद 15 फीसदी जो मार्जिनल मनी लोन था वह भी केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों ने मिलकर किया और उससे हम उनको छोटे-छोटे रोजगार में जैसे सब्जी बेचने में किसी को खोखा, क्योस्क खोलकर दिया। जो भी वह काम कर सकते थे ऐसा करके इन लोगों का पुनर्वास किया गया है। मैं श्री भंडारी जी के सामने यह कहने की खुशी लेता हूं कि हम रिजर्व बैंक से और दूसरे जिनसे कंसेशन लोन लिया जाता है मेरे विभाग ने और हमारे अफसरान ने उनके साथ लगातार पिछले साल मीटिंग की हैं और बैंक लोन में जो शिकायतें आती थी, दिक्कतें आती थी हम ने उनको दूर करने के लिए कुछ उपाय किए हैं और इस तरह मॉनिटरिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया है। जिला लेविल पर और राज्य लेविल पर मीटिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया गया है और जो नेशनल शैड्यूल्ड कॉस्ट फाइनेंसियल डवलपमेंट कार्पोरेशन है वहां से इन लोगों को कर्जा दिलाकर कुछ जिम्मेदारी दी गई है।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: बुक बैंक के बारे में।

श्री गोविन्दराम मिरी: महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि किताब छात्रों को कम दी जाती है, परीक्षा होने के बाद या परीक्षा के तुरन्त पहले या सत्र प्रारम्भ होने के समय? इसका जो मॉनिटरिंग है व होना चाहिए। किताब देने का मतलब यह नहीं कि परीक्षा खत्म हो जाए तब दें।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): सुन लीजिए उनका भाषण। फिर कोई सवाल रहे तो पूछ लीजिएगा।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: मैं इनको दिखवा लूंगा। आगे आपने पावर्टी लाईन के बारे में कहा है और श्री राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है। बहुत कुछ तो आगे नहीं बढ़ सका है लेकिन देश ने और राष्ट्र ने जो कोशिश की है उसकी वजह से 1993-94 में जो अनुसूचित जाति के परिवार हैं जो पावर्टी लाईन के नीचे थे।

वह 48 प्रतिशत गांवों में और 49 प्रतिशत शहरों में थे जब कि यह पोजीशन 1983-84 में 53 प्रतिशत थी। डिकलाइन उसमें हुआ है लेकिन जितना होना चाहिए था, वह अभी तक नहीं हो सका है। आपने छूआछूत के बारे में कहा। भंडारी जी ने भी कहा, मिरी साहब ने भी कहा। हमने जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स का मामला है, पहले तो 14 स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें छूआछूत का कोई केस नहीं है, यह खुशी की बात है। इसमें लगभग आधा भारत आ जाता है लेकिन फिर भी कुछ केसिस आए हैं, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। स्पेशल कोर्ट्स के लिए धनराशि भी दी गयी है और जो डी०एम हैं, उनको जिम्मेदार ठहराए जाने के लिए हम कुछ ऐसे उपाय करना चाहते हैं कि वह अपनी जिम्मेदारी लें और उनके क्षेत्र में यह घटनाएं न घटें। श्री रामनाथ जी ने, मिरी जी ने और श्री एन०थलवै सुन्दरम जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। वह यह था कि अनुसूचित जाति और जनजाति में और जातियों को जोड़ा जाए। महोदय, असल में मेरे मंत्रालय के पास 1200 ऐसे आवेदन पत्र हैं पैटीशन हैं, जो कहते हैं कि हमें उसमें शामिल किया जाए। बैकवर्ड के 700 हैं। महोदय, इस संबंध में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह बात इतनी बड़ी है कि अगर यह खुल गयी तो इसे कैसे बंद करेंगे, इसका मेरे दिमाग में उपाय नहीं है। फिर तो सारा देश यह कहेगा कि हमने इसमें आना है। दूसरी बात यह है कि अगर हम इनको आने देंगे तो मुद्दा फौत हो जाएगा। मैं कहना नहीं चाहता कि भारत में एक ऐसा राज्य है जहां बहुत अमीर लोगों को अभी-अभी शैडयूल्ड ट्राइब्स में शामिल कर दिया गया है। इससे जो असली शैडयूल्ड ट्राइब्स हैं, जैनुअन हकदार हैं उनके लोगों का अधिकार इरोड हो गया है। उससे क्या हुआ है कि 48 बच्चे, विभिन्न कालेजों और उच्च विद्या की जो संस्थाएं हैं, उनमें शामिल हुए। कुछ वर्ष पहले वह 48 के 48 जैनुअन शैडयूल्ड ट्राइब्स थे, अब वह चार रह गये हैं और जो नकली घुसे है वह 44 हो गये हैं। यह एक मुद्दा है। फिर भी मैंने एक रास्ता निकाला है। वह कैबीनेट को मैं भेज रहा हूं कि केसिस जिनकी किसी तरह से आर०जी०आई० में अप्रूवल हो गयी हो, स्टेट असैंबली ने कर दी हो, कुछ ऐसा करके मैं उनको निपटाना चाहता हूं ताकि वह 1200 आवेदन एक तरफ पड़े न रहें, या तो यह मान लिए जाएं या रद्द हो जाए, ऐसे कदम मैं उठा रहा हूं। आपने कहा कि जो स्कीम्स हैं, उनका कितना बैनीफिट हुआ, इसकी इवैल्यूएशन क्या

है? आपने इस पर बहुत जोर दिया। मैं कह सकता हूं कि पिछले साल जब से मैंने यह जिम्मेदारी संभाली है, मैंने 11 वर्कशॉप्स और सैमीनार्स, स्टडीज़ के सैमीनार्स अपनी ओर से स्पॉंसर किये हैं ताकि इवैल्यूएशन हो सके। इससे जागृति भी आती है और जानकारी भी बढ़ती है। महोदय, अजीत जोगी जी ने कुछ मुद्दे अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, शेडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स नेशनल कमीशन के बारे में उठाए थे। मैं समझता हूं कि कुछ थोड़ी सी ज्यादती उन्होंने की है कि वह बात कुछ ज्यादा कह गये। महोदय सदस्य का हक बनता है, वह ज्यादा भी कहें लेकिन मैं आपके सामने रिकार्ड रखता हूं। रिपोर्ट हम रख रहे हैं।

अकेली रिपोर्ट टेबल पर रख दें लेकिन बहुत से कागज पहले ही टेबल पर रखे हैं, इसको टेबल पर रखने से उसमें और इजाफा हो जाएगा, बढ़ोत्तरी हो जाएगी। सर, रिपोर्ट को हाउस में टेबल पर रखने का तभी लाभ होगा जब हम उसके साथ में एक्शन टेकन रिपोर्ट भी रखें। आप एक्शन टेकन रिपोर्ट के बारे मे हमारी स्थिति को समझें। रिपोर्ट पहले 62 मंत्रालयों को भेजनी होती है और ऐसा नहीं है कि कमीशन ने हमें रिपोर्ट दे दी और हमने उस रिपोर्ट को आगे बढ़ा दिया। हम सिर्फ एक एजेंन्सी नहीं है कि रिपोर्ट प्राप्त की और पार्लियामेंट को प्रस्तुत कर दी। सर, आपने और इस सदन ने हमें कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं और उसके मुताबिक ही हम काम करते हैं और हमें वह रिपोर्ट 62 मिनिस्ट्रीज को भेजनी पड़ती है। जो 1993-94 की रिपोर्ट है वह हमें 17 जनवरी, 1997 को मिली है। वह रिपोर्ट हमने सभी मंत्रालयों को भेजी है दो मंत्रालयों को छोड़कर सभी मंत्रालयों से जवाब आ गया है। जैसे ही हमको बाकी बचे दो मंत्रालयों का जवाब मिल जायेगा हम उसको हाउस में टेबल पर रख देंगे।

सर, आपने कहा है कि उसको पैसे कम दिए जाते हैं, श्री हनुमनतप्पा जी उपस्थित नहीं है, उन्होंने भी पैसे की कमी की बात कही थी। मैं बताना चाहता हूं कि इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। हमने वर्ष 1994-95 में उसको ढाई करोड़ रुपये दिए और उसने दो करोड़ छयालीस लाख रुपये खर्च किए तो इस प्रकार चार लाख रुपये शेष बच गये। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि उनको कोई पैसे की कमी नहीं हुई। हमने वर्ष 1995-96 में उसको 2 करोड़ 91 लाख रुपये दिये और उसने 2 करोड़ 91 लाख रुपये ही खर्च किये। हमने वर्ष 1996-97 में उसको 3 करोड़ 47 लाख रुपये दिए और उसने 3 करोड़ 52 लाख रुपये खर्च किये। उसके खर्चे को देखते हुए मैंने इस साल 3 करोड़ 65 लाख रुपये कर दिये, उन्होंने तो पांच लाख रुपये ज्यादा खर्च किए थे लेकिन मैंने तो 13 लाख रुपये और बढ़ा दिए हैं। इस प्रकार आयोग को पैसे की कोई कमी नहीं है।

उन्होंने अफसर साहिबान की 283 एडीशनल पोस्ट्स बढ़ाने की मांग की थी। हमने उनकी मांग को स्वीकृति के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भेजा है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि वहां से उन पोस्टें के लिए मंजूरी मिल जायेगी।

सर, आपने रेजीडेंशियल स्कूल्स का मुद्दा उठाया है और भंडारी साहब ने भी इस बारे में कहा है। हम इस संबंध में बहुत चिन्तित हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की महिलाओं के लिए जो विद्या का प्रबन्ध है उसमें बहुत कमी है। इसके लिए हमने पायलेट बेसिस पर जो लो लिटरेसी एरियाज हैं, हमने वहां पर 48 जिलों में रेजीडेंशियल स्कूल्स शुरू किए हैं और उन एरियाज में पहले से भी कुछ स्कूल्स चल रहे हैं। इसके लिए इस साल रकम भी बढ़ा दी गई है। वर्ष 1997-98 में सौ स्कूल्स और भी खोले जायेंगे और उसके लिए धनराशि का प्रबन्ध कर दिया गया है।

सर, जोगी जी यहां पर नहीं हैं, उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की पदोन्नति में कुछ रुकावटों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि कल्याण मंत्री जी विशेषकर इन्दिरा साहिनी केस के फैसले के बाद की स्थिति के बारे में बतायें कि उनके मंत्रालय ने इस संबंध में क्या किया। जो आर्टिकल 16 सब क्लाज 4 था, उसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वह फैसला यह था कि प्रमोशन के मामले में जो रिजर्वेशन है वह 15.11.97 तक है और उसके बाद प्रमोशन के मामले में रिजर्वेशन बन्द हो जायेगा। इस संबंध में हमने उस आर्टिकल में अमेंडमेंट किया है और हमने उसमें आर्टिकल 16 सब क्लाज 4(ए) जोड़ दी है जिस पर अब डीओपीटी ने नॉटिफिकेशन जारी करना है। हमारी तरफ से जिम्मेदारी खत्म हो गई है।

श्री गिरी जी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के मामले में अनुसूचित जाति और जनजाति के जज साहिबान के लिए रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया है। मैं इस संबंध में यह बताना चाहता हूं कि जज साहिबान के मामले में रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है।

इसलिए चयन के वक्त ध्यान रखा जाता है कि लॉ के मामले में जो सभी वर्गों के माने हुए व्यक्ति हैं उन्हीं को जज के पदों पर नियुक्त किया जाये। इसके बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं।

श्री गोविन्दराम मिरी: महोदय,...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप सवाल आखिर में पूछियेगा। इनको जवाब देने दीजिये और भी एक मंत्री बैठे हुए हैं। हमें एक बिल भी पास करना है।

श्री गोविन्दराम मिरी: सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि रिजर्वेशन इसमें नहीं है लेकिन इसमें भी योग्य लोग हैं मेरी जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में शैड्यूल्ड कम्यूनिटी के और हाई कोर्ट में 4 लोग जज के पदों पर नियुक्त हैं। मेरा कहना है कि इनमें भी योग्य लोग हैं जो जनरल कैटेगरी में भी आ सकते हैं, उनकी उदारतापूर्वक नियुक्ति की जाये।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: हमें संविधान ने इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी है और मैं इससे अलग कुछ नहीं कह सकता हूं। श्री जोगी जी ने कहा कि आई०ए०एस० के पदों की नियुक्ति के बारे में जानना चाहा है तो आई०ए०एस० के टोटल अफसर साहिबान की संख्या 5047 है। इनमें अनुसूचित जाति के 554 हैं और उनका प्रतिशत 11 है। अनुसूचित जनजाति के 273 अफसर हैं और उनका प्रतिशत 5.4 है। हां, प्रमोशन्स के मामले में कुछ शिकायतें हैं। एक शिकायत यह भी है कि भारत सरकार में जो सचिव पद पर नियुक्तियां है उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या बहुत ही कम है। मुझे भी लगता है कि यह संख्या बहुत ही कम है। यह कम क्यों है इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरा काम इस मंत्रालय के काम को देखना है और नियुक्ति की जिम्मेवारी अन्य मंत्रालय की है। इस बारे में मैं सोच रहा हूं कि यदि सदन मुझे इजाजत दे दे तो मैं प्रधान मंत्री को पत्र लिखकर उनके नोटिस में यह ला दूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): चूंकि आपके पास कल्याण मंत्रालय है इसलिए आप आंकड़े निकालकर देखिये कि सैक्रेटरी लेवल पर कितने लोग नियुक्त हैं जिनके कल्याण की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यदि आंकड़े कम हैं तो बेशक प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिखिये।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: थैंक्यू सर। सर, मैं कहीं अपने दायरे से बाहर न चला जाऊं इसलिए मेरी अपनी पर्सनल राय है, एज मिनिस्टर नहीं, शायद इम्पैलमेंट सिस्टम में नुक्स है

जिसकी वजह से सैक्रेटरी और ज्वाइन्ट सैक्रेटरी लेवल में इम्पैनलमेंट होती है। प्रायवेटली मैं कहना चाहता हूं कि जैसे पुराने जमाने में कपड़ा डालकर अंगुली से भाव लगाये जाते थे इसी प्रकार दो-चार ऐसे इम्पैनलमेंट चोरी-चोरी हो जाते हैं। मेरा यह पर्सनल ख्याल है। कल्याण मंत्री होने के नाते जब मेरे पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अफसर दरवाजा बन्द करके रोते हैं तो मैं पूछता हूं कि क्या हो गया। वे कहते हैं कि इम्पैनलमेंट ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। दो-तीन आदमी बैठे थे, आंखें मिलाई इम्पैनलमेंट करना या नहीं करना किसी की एक सी०आर० खराब है, दो सी०आर० खराब हैं, यह बीमारी काफी बढ़ी है। मैं इसमें उलझना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं यह बीमारी महसूस अवश्य करता हूं।

सर, बैकलॉग को पूरा करने के लिए हमने स्पैशल ड्राइव चलाया था। आज शाम को भी कंसलटेटिव कमेटी की मीटिंग है। उसमें हम इस पर गहन विचार करेंगे और अगर उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है तो हम अवश्य जोड़ेंगे। श्री अजीत जोगी ने कुछ और भी मामले उठाये थे कि स्वतंत्रता के बाद इतनी रिजर्वेशन होनी चाहिये। उनका कहना गलत है क्योंकि रिजर्वेशन तो सैन्ट्रल सर्विसेस में आती है उसमें इतनी कमी नहीं है। उन्होंने इसमें आगे कहा कि यू०पी०एस०सी० के सलेक्शन में बे-इन्साफी हुई है तो इस आधार पर कोई शिकायत नहीं आई है। कुछ इन्स्टीट्यूशन्स भगवान की कृपा से बहुत ट्रांस्पिरेंसी से अब भी चल रहे हैं, कहीं-कहीं थोड़ा बहुत हुआ भी होगा। लेकिन इस देश की गरिमा और देश की जो ट्रेडीशंस हैं उसके मुताबिक बहुत सी इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छा काम अब भी कर रही हैं। अब नेशनल कमीशन फार सफाई कर्मचारी के मुद्दे पर माननीय श्री सुन्दर सिंह भंडारी जी ने और श्री रामनाथ कोविन्द साहब जी ने आयोग के काम की पड़ताल के बारे में कहा और पूछा कि उसके काम से कितनी प्रगति हुई है, उसका ब्यौरा दिया जाए। मैं पहले भी कह चुका हूं और अभी कुछ देर पहले कहा कि हमने इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लिया है। तीन वर्ष के लिए इस कमीशन की मियाद श्री जो 31 मार्च को समाप्त हो गई, हमने उसको बढ़ाकर 2002 तक कर दिया है। कमीशन के मैंबर नियुक्त कर दिए गए हैं। जो स्कीम्ज़ वगैरह हैं उनको भी हम जोर से लागू करने का यत्न कर रहे हैं। मैंने कमीशन की पहली मीटिंग अपने ही दफ्तर में की और उनको मैंने रेक्वेस्ट किया ताकि हम भी उसमें

शामिल होकर एक-दूसरे की राय जान सकें। आपने कमीशन के चेयरमैन के स्टेटस की बात कही, माननीय भंडारी साहब ने कहा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट का है, तो उस संबंध में मेरा यह कहना है कि अभी ऐसा नहीं है, अभी वह डिप्टी मिनिस्टर का है। उससे भी यदि एक बात कम निकली जो आपने कहा था तो यह हमारी गलती है। इसलिए मैंने लिखा है कि इसको एम०ओ०एस० किया जाए और बाईस चेयरमैन को डिप्टी किया जाए। जो फिक्रमंदी श्री भंडारी जी ने इस मुद्दे में जाहिर की है, मैं दिल से उनका आभारी हूं। आपने बहुत गहन अध्ययन किया है, मैंने आपके भाषण के सारे अंशों को नोट किया है। आप सफाई कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे बहुत ही दिल के दर्द के साथ सामने लाए हैं, इस बारे में हम एक-एक मद पर गौर करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि जो मुद्दे आपने उठाए हैं, कुछ ही समय में हम उनको आगे बढ़ायेंगे। सर, आपने जो स्कीम्ज़ के बारे में कहा, बहुत सी स्कीम्ज़ हैं, जैसे ओवरसीज़ स्कॉलरशिप की स्कीम थी। अब क्या होता है कि ओवरसीज़ स्कॉलरशिप में हमने बहुत से लोगों को बाहर भेजा। असल में जो बाहर जाता है वह कभी न कभी जंप कर जाता है। हम इंतजार करते रहते हैं, पैसे भी दिए और वे आते नहीं। लेकिन फिर भी एक, दो या पांच की गलती के लिए सभी को सजा नहीं दे सकते। हमने उस स्कीम को लागू किया हुआ है। मैं आपसे, इस हाउस से गाइडेंस चाहता हूं और जो स्कीमें हैं वे तो हम जिंदा रखेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वे स्कीमें खत्म हो जाएं। लेकिन कुछ ऐसे विषयों पर जो देश में पर्याप्त न हों सिर्फ उन्हीं के लिए बाहर भेजा जाए या किन स्कीमों के लिए भेजा जाए यह मैं गाइडेंस चाहूंगा लेकिन वह तभी चाहूंगा जब मैं कोई प्रोपोज़ल आपके सामने पेश करूंगा। वह मैं किसी वक्त कंसल्टेटिव कमेटी के जरिए उसको पेश करूंगा। कुछ बातें इस मुद्दे पर रखी गई कि मंत्रालय के टोटल कामों में मॉनिटरिंग कैसे होती है, सभी प्रोग्रामों को लागू करने के लिए मंत्रालय क्या यत्न करता है। मैं कह सकता हूं कि एक-एक मुद्दे पर मैं अपनी तरफ से और हमारे अधिकारीगण की तरफ से एक तो हमने प्रोग्राम ही बना दिया है, शायद और मंत्रालयों में भी होगा कि कोई भी अधिकारी किसी काम के लिए देश के किसी हिस्से में दौरे पर जाएगा तो हमारे मंत्रालय से संबंधित जो भी कोई एन०जी०ओ० काम कर रही है हमारी इंस्टीट्यूट है और भी कोई है तो वह उसका निरीक्षण करेगा। वैसे हम बकायदा उस पर महीने दो महीने में बैठकर विचार करते रहते हैं। इसलिए उसमें किसी किस्म की रूकावट आने या कमजोरी रहने की कोई ऐसी आशंका नहीं रह जाती है। तो मैं कई चीजों में फूल-प्रूफ ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता हूं। उस ट्रांसपेरेंसी के लिए जैसे मैंने अभी कहा, एन०जी०ओज० का झगड़ा है। सर, आप ने मुझे चिट्ठी लिखी। मेरे ख्याल में एक-दो सदस्य होंगे जो नहीं लिखते होंगे कि मेरे क्षेत्र में, मेरे डिस्ट्रिक्ट्स में यह एन०जी०ओ० काम कर रही है और आप इस के लिए मदद जुटाएं। अब मैं यह भी नहीं कह सकता कि सभी एन०जी०ओज० बुरी हैं। आज अफसर साहब ने कहा कि 60 से 70 प्रतिशत तक बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर 30 प्रतिशत एन०जी०ओज० भी रगड़ा दे जाएं तो कितनी धनराशि का नुकसान होगा? सर, मैंने आप को भी कमेटी का मेंबर रखा है। उस में 5 मेंबर दोनों हाउसेस से हैं, 5 बड़े-बड़े जर्नलिस्ट्स हैं, कुछ एमीनेंट लोग हैं और कुछ एन०जी०ओज० को मिलाकर एक कमेटी के गठन के लिए मैं दस्तखत कर दिए हैं। वह नोटिफिकेशन 10—15 दिन में हो जाएगा। अब बात यह है कि जितना पैसा एन०जी०ओज० को जाना है, उसके लिए हम क्यों बुरे बनें? यह एन०जी०ओ० ठीक काम नहीं करती। वह कहते हैं कि मेरी एन०जी०ओ० ठीक है। मैं कहता हूं कि मेरा मंत्रालय ठीक कहता है और आप ने हेराफेरी की है। वह है भी, मान लीजिए एक संस्था हम ने ऐसी पकड़ी जो कि शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए काम करती है। वह हम से 10-11 लाख रुपया साल का लेती है। अब यह 11 लाख थोड़ा नहीं होता है, बहुत बड़ी रकम है। यह भारत के गरीब लोगों द्वारा जमा किए गए टैक्स की रकम है, इस सदन की रकम है। उस की पड़ताल के लिए यहां से बड़े अफसर ज्वाइंट सेक्रेटरी साहबान गए। उन्होंने पहले तो वह शहर ढूंढा, शहर में वह मोहल्ला ढूंढा तो मोहल्ले में वह संस्था मिली ही नहीं। फिर मिलते-मिलते एक छोटा सा कमरा मिल गया। उस कमरे में एक व्यक्ति बैठा था। उस से जब कहा कि रजिस्टर दिखाओ। अब उस व्यक्ति को पता नहीं था कि ये हमारे अफसर हैं और इंस्पेक्शन कर रहे हैं। उस को यह भी नहीं पता था कि मैं किस काम के लिए बैठा हूं। रजिस्टर देखा तो पता लगा कि जो कर्मचारी अपॉइंट किए हैं, उन में एक भी अनुसूचित जाति का नहीं है। वह खुद भी अनुसूचित जाति का नहीं है। जिन बेनेफिसरीज की लिस्ट है उस में 3-4 हैं। सर, वह कमेटी मैंने इसलिए बनायी है कि वह कल पेपर में जाकर कहेंगे कि हम पर झूठा आरोप लगा दिया। हम को यह कह दिया। सर, 99 परसेंट पेपर वाले तो देखते हैं, लेकिन 1 परसेंट यह सोच लें कि चलो दोस्ती निभानी है और खबर छप जाए। इसलिए वह कमेटी देखेगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है

और "दूध का दूध और पानी का पानी" करने के लिए हम ने अपने गले से यह फांसी का फंदा उतारने की कोशिश की है। वह मैंने आप के गले में डालना है। तो अब यह आप सभी की जिम्मेदारी हो गयी है। सर, गुस्ताखी माफ करें।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, लेकिन अभी चावल वाला बिल आनेवाला है। उस के लिए मंत्री जी बैठे हैं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: सर, मैं जल्दी ही खत्म करने वाला हूं। सर, मैंने इस मुद्दे पर और ज्यादा नहीं कहना है। मुझे डर था कि भंडारी जी आज मेरी खिंचाई करेंगे, लेकिन वह इतने कृपालु हैं कि उन्होंने मुझ पर बहुत कृपा की। मुझे खुशी होगी कहने में कि मैंने अपने उत्तर से माननीय सदस्य.....

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: आप इस में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, यही संतोषजनक है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: सर, वह इस हाउस के इतने सीनियर सदस्य और भारत के इतने सीनियर नेता हैं, उन्होंने मेरी बात को टोका-टाकी नहीं की, बेशक दोस्ती से नहीं की।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): वह वैसे भी नहीं करते।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: दोस्ती से भी नहीं की, लेकिन यह बात मानने वाली है या फिर मैं खुद सफल हो गया हूं उन को मनाने में।

सर, दूसरा मुद्दा था ट्रायबल सब-प्लान का। मैं ट्रायबल्स के बारे में कहना चाहता हूं कि ट्रायबल की हमें पूरे तौर पर फिक्र है। मैंने जैसे पहले अर्ज किया जनाब को और कल भी मैंने दूसरे सदन में बताया कि मैं इस बात का धारणी हूं और मंत्री का काम देश के सामने सच्ची बात रखना है। सारा दिन लीपापोती करना मंत्री का काम नहीं है। आप फिर उसमें बुरा मानें या अच्छा। इसलिए मैं फौरन कन्फेस कर जाता हूं कि यह बात गलत है। अरे, मेरी क्या जिम्मेदारी है कि पिछले 15 वर्ष की गलत बातों पर पर्दा डालूं। जो मेरी गलती है, मुझसे कह दो। जब मैंने राष्ट्रपति जी के सामने ओथ ली थी तो मैंने कौनसा लैक्चर दिया था कि मैं काम भी करूंगा और पिछली बातों पर पर्दा भी डालूंगा। मैंने बिल्कुल नहीं कहा था। जो होता है, हो जाए। मुझे कोई अच्छा कहे या बुरा कहे। इन कुर्सियों पर अनेकों आकर बैठ गए और बैठकर चले गए। मैं गलत बात नहीं कहना चाहता, सर। मैं आपको साफ कहता हूं कि ट्राइबल के मामले में राज्यों में तो अच्छा काम हो रहा है, जो वह कर रहे हैं, लेकिन हमारे मंत्रालय, हमारे मंत्रालयों का हाल यह है, 21 केन्द्रीय मंत्रालय हैं, अब वहां थोड़ा-थोड़ा काम शुरू हुआ है, हमने बहुत उनको कहा है। जो परपोर्सनेट धनराशि रखनी चाहिए अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए, वह हमारे केन्द्रीय मंत्रालय ही नहीं रखते और रखते हैं तो साल के अंत में री-एप्रोप्रिएट करके दूसरी तरफ लगा देते हैं। यह बहुत बड़ी बीमारी है। तो सर, ऐसा है कि 4.25 प्रतिशत पांचवीं योजना में जो था, सारा मिलाकर वह अब 9.54 हो गया है। यह तो ज्यादा है पापुलेशन के हिसाब से, लेकिन मंत्रालयों में 3.54 परसेंट है। यह नीचे है दूसरे मंत्रालयों में। हमें इसको बढ़ाकर 8.8 प्रतिशत करना है। इसके लिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सारा कुछ तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं भरपूर यत्न करूंगा इसके लिए और करता रहूंगा।

सर, यहां पर एक और मुद्दा उठाया गया फार्म प्रोड्यूस पर हमारे ट्राइबल भाईयों का, उसके लिए हमने उनको ऑनरशिप राइट देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया गया है। एक बड़ी बात जोगी जी ने कही, वह यह कि दस हजार किलोमीटर हीरे वाले माइनिंग एरिए में अधिकार दे दिया गया है। मैंने देखा, वह बात ठीक थी, मगर उससे इतना डरने की जरूरत नहीं है, जितना कि वह दिखाई देते हैं। इसके बारे में मैं आपके सामने स्थिति रखता हूं। ऐसा है कि वह सर्वे के लिए दिया है, किसी कांट्रेक्ट के लिए नहीं दिया है। सिर्फ इसलिए कि ज्यादा सर्वे हो जाए, बाकी बातें जो करनी हैं, डिसप्लेसमेंट न हो, उनका क्या हिस्सा हो, हम उनको साथ जोड़ सकें ट्राइबल को, बाद की हैं। केवल यह सर्वे करने का है। फिर भी मैं प्रधानमंत्री और कैबिनेट के नोटिस में इस मामले को एक दफा लाने का वादा करता हूं कि इससे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। यह मैं यकीन से कह सकता हूं। चूंकि सारी बात का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे यह बताया गया है कि 25 किलोमीटर में सर्वे नहीं हो सकता, इसलिए लंबे सर्वे के लिए दिया गया है।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: मामला और गहराई से देखना पड़ेगा। यह इतना आसान नहीं है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: ठीक है, सर, जैसा भंडारी साहब ने कहा, हम उसको वैसे ही देखेंगे। मैंने तो कह दिया। अब तो मैं अकेला क्यों देखूंगा, कैबिनेट को मैं बताऊंगा ताकि गलत बात न हो जाए।

सर, हमने कुछ और भी उपाय किए हैं, जिसमें एक जो फ्रिक्रमंदी जाहिर की गई, वह यह कि भुखमरी और अल्प-खुराक के कारण ट्राइबल में बच्चों की मृत्यु पर। तो उसमें हमने, सर। 369 ब्लाक 13 स्टेट्स में आइडेंटिफाई किए हैं।.....

जो ग्रेन बैंक योजना है, जिसका भंडारी साहब ने जिक्र भी किया था, उस योजना के लिए हमारे पास दो करोड़ रुपया है कंटीजेंसी के लिए, जब भी जरूरत होगी वह दिया जाएगा इसके साथ ही साथ मैंने मॉनिटरिंग कमेटी भी बना दी है और एक सेंट्रल प्लानिंग कमेटी कांस्टीट्यूट की गई है जो स्टेट के मुख्य सचिव के साथ लगातार कांटेक्ट रखती है और इसी तरह हमने कुछ एक्शन प्लान ले-आउट किया है जिससे अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो क्रिटिकल एरिया है, उनमें प्रोग्राम इंटेंसिफाई करना, ड्रिंकिंग वाटर, स्टेट सेवाएं और पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम और कुछ ऐसे धंधे शुरू हो सकें, जिनसे इम्पलॉयमेंट मिले, इसको हमने एडाप्ट किया है और इसके कितने नतीजे निकलेंगे, यह जब सामने आएंगे तो मैं जनाब को बता दूंगा।

एक चीज़ अच्छी हुई है, सर, कि पिछले 50 वर्ष में देश में पोलिटिकल अफेयर्स कैबिनेट कमेटी थी, केबिनेट कमेटी इक्नॉमिक अफेयर्स थी, केबिनेट कमेटी एकोमोडेशन थी, लेकिन यह पहली दफा हुआ है कि कैबिनेट कमेटी आन शैडयूल्ड कास्ट, शैडयूल्ड ट्राइब्स एंड माइनॉरिटीज़ भी बना दी गई है मैंने जून में ही इस बारे में चिट्ठी लिख दी थी, अपनी जिम्मेदारी लेने के 15 दिन बाद पांच-छः महीने की मेहनत और आप सभी की मेहरबानी से उसमें सफलता मिल गई है और वह कमेटी बन गई है।

एक और जो बहुत फ्रिकमंदी का मुद्दा उठाया गया, वह यह था कि फारेस्ट विलेजिस है, रिवेन्यू विलेजिस में उनको बदलना है अगर रिवेन्यू विलेजिस न हों तो फिर न तो वहां सड़क जा सकती है, न उन पर खर्च किया जा सकता है और कई फारेस्ट विलेजिस में पंचायतों की मैम्बरशिप भी नहीं है, पंचायतें नहीं हैं हमने आइडेंटिफाई किया है कि 2500 से लेकर 3000 तक फारेस्ट विलेजिस है हम उम्मीद करते हैं कि हमने मिनिस्ट्री आफ एन्वायरमेंट एंड फारेस्ट से जो बात छेड़ी है, उससे हम बहुत जगह इनको रेवेन्यू विलेजिस में बदलने में सफल हो जाएंगे।

कुछ और मुद्दे उठाए गए, जिनमें एक हैंडीकेप्ड वेलफेयर के बारे में था सर, आपके माध्यम से मैं सारे देश को बधाई देता हूं कि मुझे खुशी है कि पिछले एक साल में हमने जो कोशिश की देश में भी कुछ लोगों में जागृति आई और जो हैंडीकेप्ड वेलफेयर है, जो विकलांगों की भलाई की बात है, उस पर बच्चों का, विद्यार्थियों का, विद्वानों का, बुद्धिजीवियों का और राजनीतिक सज्जनों का उस तरफ बहुत ध्यान गया है तो उस बारे में कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं सबसे पहली बात है कि जो नान गवर्नमेंट आरगेनाइजेशन्ज़ हैं, जो इस काम में—ड्रग डिएडिक्शन के काम में, विकलांगों को विद्या देने के काम में, नेत्रहीन बच्चों बच्चियों में जो काम करने वाले है, उनकी मदद के लिए पहल के आधार पर मंत्रालय आता है इसमें हमने कुछ स्टैप उठाएं हैं पहली बात तो यह आपने कही कि मॉनिटरिंग पूरी नहीं होती मॉनिटरिंग का सिस्टम बहुत तेज़ किया गया है, स्टेट्स को भी इन्वाल्व किया गया है और हम खुद भी इसमें इन्वाल है, हमारा जो मंत्रालय है, असल में विकलांगों के मामले में अकेले मेरे मंत्रालय ने ही सब कुछ नहीं करना है, इसमें रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय ने भी करना है, वीमेन एंड वेलफेयर ने भी करना है, दूसरे मंत्रालय भी आते हैं, हमने कोआर्डिनेशन का बहुत तेज़ प्रावधान किया है इसी तरह से जो नया ऐक्ट बना है, जो 1995 में बना, हमने उसकी एक-एक धारा को लागू करना शुरू कर दिया है वह 1996 में लागू किया गया लेकिन 8-9 महीने रूल्स बनाने में लग गए। मैं आपके माध्यम से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी ऐक्ट हम बनाते है, उसमें रूल्स का सफर महीनों तक खिंच जाता है। यहां तो हर चीज कागजों के चक्कर में रह जाती है। पता नहीं और मुल्कों में भी ऐसा होता है या नहीं लेकिन यहां तो रूल्स का सफर तय करने में इतना समय लग ही जाता है। आप चाहे मंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, यह रूल्स की जो रूकावट है, इसका हम उल्लंघन नहीं कर सकते। अब इसमें 8 महीने लग गए लेकिन फिर भी हमने रूल्स बना दिए हैं, नोटिफाई कर दिए हैं, स्टेट्स को बता दिया है, विकलांगों के लिए जो चीफ-कमिश्नर की नियुक्ति करनी थी, वह पोस्ट हमने बना दी है, उसके लिए आज ही सर्च कमेटी भी बन गई है और 10-15 दिन में चीफ कमिश्नर नियुक्त हो जाएगा। इस तरह वह जिम्मेदारी हमने पूरी कर दी है।

महोदय, विकलांगों के लिए एक निगम बनाया गया है -- नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस ऐंड डेवलपमेंट कारपोरेशन। इसका बजट 400 करोड़ रुपए का है और इस साल हमने बजट में से 28 करोड़ रुपया इसके लिए

दे दिया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विकलांगों को किन-किन कामों में लगाया जाए, यह तो ऐक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं। इसके लिए हम ऐक्सपर्ट्स की एक मीटिंग बुलाकर जल्दी ही फैसला कर देंगे। महोदय, विकलांग बच्चों को एजुकेशन देने के लिए दो तरह के स्कूल्स हैं — एक तो इंटिग्रेटेड स्कूल्स हैं जहां विकलांग बच्चे आम बच्चों के साथ पढ़ते हैं और दूसरे स्पैशल स्कूल्स हैं वहां केवल विकलांग बच्चे पढ़ते हैं आपको जानकर खुशी होगी कि हम एन.जी.ओज़. के जरिए 300 स्पैशल स्कूल्स चला रहे हैं।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: विकलांगों में भी जो आंखों से मजबूर हैं, जो सुनने से मजबूर हैं, उनकी उपेक्षा ज्यादा हो रही है। उनकी ओर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया: आपने जो नेत्रहीन बच्चों की बात की है, हम भी उनके लिए चिंतित हैं और विशेषकर नेत्रहीन लड़कियों के लिए हमें काफी चिंता है क्योंकि वे बेसहारा हैं, कुदरत ने उनके साथ नाइंसाफी की है, उनके साथ कोई धोखा हो जाए, जुल्म हो जाए तो वे किसको पहचानें, किससे कहें। इसलिए हमने फैसला किया है कि देश भर में जो एन.जी.ओज़ नेत्रहीनों के लिए काम कर रही है, उनको हम खैरात देकर उनकी मदद करेंगे। जो लोग नेत्रहीन हैं और जो सुन नहीं सकते, उनकी ओर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। फिज़िकली हैंडीकैप्ड तो फिर भी चल जाता है। उनके लिए हम हर जिले में 6 लाख रुपए दे रहे हैं। हम हर जिले में एक-एक शिविर लगाकर उन लोगों को हीयरिंग ऐड और दूसरी सहायता उपलब्ध कराएंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने-अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए तज़वीज भिजवा दें कि अगर शिविर लगाना चाहते हैं, हम उसके लिए धनराशि देने का प्रबंध करेंगे। महोदय, ऐलिम्को एक इंस्टीट्यूट है कानपुर में जो बहुत बढ़िया कृत्रिम अंग बनाता है। मुझे यह कहना मुश्किल है मैं कहे देता हूं कि पिछले 12 वर्षों में मैं एक कल्याण मंत्री हूं जो एलिम्को को देखने गया। मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत कुछ करता हूं। मैं भगवान से डरकर और भगवान के ऊपर यह सदन है, इससे डरकर कहता हूं कि मैं दिन-रात इसमें लगा रहता हूं।

श्री गोविन्दराम मिरी: आप सच्चे हमदर्द है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: मेरे जुम्मे इस समाज की भलाई की जिम्मेदारी है। इस महकमे में चमक-दमक नहीं है। जब किसी बड़ी पार्टी में जाते हैं तो कोई खूबसूरत लेडी अफसर पूछती है कि कहां काम करते हो। हम उससे कहते हैं कि मैं तो कल्याण मंत्रालय में हूं। तो नेक्सट बात करने से पहले दूसरे से बात करना शुरू कर देता हूं। ...(**व्यवधान**) मैं तो वैसे ही बात नहीं करता, मैं तो बात ही भलाई की करता हूं। ...(**व्यवधान**) मेरे अधिकारी ने कहा कि मुझे फख्र है कि मैं कल्याण मंत्रालय में हूं। अधिकारियों में जी जान है, वह फख्र से काम करते हैं।

सर, मैं अर्ज कर रहा था कि मैं एलिम्को में गया। उसमें भी एक कमी है कि वह मर सकती है। उसको पैसा भी दिया जा सकता है। तो मैंने एक फैसला लिया है और मैं आपका समर्थन चाहता हूं कि यहां इंडो-चायना हमने एक सेमिनार किया। आठ दिन की कांफ्रेंस की, जिसमें चायना के लोग आए और एलिम्को का बना सामान था—पांव, क्रेचेज ट्राई साईकिल, व्हील चेयर। तो उन्होंने कहा कि यह जो पांव-कृत्रिम अंग है इसको हम जर्मनी से 1100 डालर का लेते है और हम 250 डालर का दे सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि अफसरों को चायना भेजा जाए अच्छा होगा अगर हम यहां से एक्सपोर्ट भी कर सके। पहले भी एलिम्को 30 लाख डालर का कृत्रिम अंग एक्सपोर्ट करती है। अगर जरूरत पड़ी तो उसको बचाने के लिए धनराशि देकर उसको देश का गौरव बनाया जाए। एशिया में वह सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है। लेकिन मैं दुख से कहता हूं कि बे-ध्यानी होने से पहले 10-15 साल में वह संस्था नीचे गई है। लेकिन मैं आपसे प्रोमिस करता हूं कि हम आपकी मदद से कुछ कसर नहीं छोड़ेंगे।

एक और बात में दुख के साथ कहना चाहता हूं कि तीन प्रतिशत रिजर्वेशन जो विकलांग लोग हैं उनको मिलना चाहिए। ऐसा हमारे कानून में है। सर, मैं ईमानदारी से कहता हूं और बहुत दुख के साथ कहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय जितनी बड़ी बेरहमी से इनका तीन प्रतिशत रिजर्वेशन लागू न करने में फख्र महसूस करते हैं उतना और कोई नहीं है। 190-193 के करीब विकलांग व्यक्ति विभिन्न पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स के कहने पर हमारे मंत्रालय ने रिक्रूट किए। दो-ढाई वर्ष होने वाले हैं तथा सभी मुकर गए कि हमें नहीं लेने हैं। पहले तो हमने कहा कि रिक्रूट करो, जगह है। यहां तक कि 16 व्यक्ति लग सके हैं। इसके लिए सर, हमें कुछ न कुछ करना होगा। जो उस पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग या उस विभाग का मुखिया, अगर वह तीन प्रतिशत विकलांगों की जगह नहीं देता है तो उसकी

ए०सी०आर० में लिखा जाए कि वह विकलांगों से नफरत करता है जिससे उसका प्रमोशन रुक जाए इस तरह से कुछ तो किया जाए। इसके आगे मैं कहता हूं कि मेरे नोटिस में सर, ऐसे केसेज आए हैं जहां कुछ पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स के अधिकारी जो नौकरी पर हैं उनको भी निकालना चाहते हैं कि निकल जाओ वोल्यूंटरी रिटायरमैंट ले लीजिए। क्योंकि जब चाय आदि पीते हैं तो मजलिस की खूबसूरती विक्लांग के आने से नहीं रहती, ऐसा लोगों का ख्याल है। मैंने उस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ .....

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाइए।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया: जी, जरूर। इसके अतिरिक्त जो आपने कहा कि जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका इवैल्यूएशन कीजिए। मैं 11 तारीख को कलकत्ता इसी काम के लिए गया ताकि आने से पहले मैं बात करूं। क्योंकि मुद्दा आपने उठाया इसलिए मैं कलकत्ता गया था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपके होते हुए भी और मेरे होते हुए भी उसकी बुरी हालत है। जो कलकत्ता में हमारा इंस्टीट्यूट है। उसमें हमने नया डायरेक्टर लगा दिया है, नये डायरेक्टर का चयन हो गया है और उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। हम कह कर आए हैं कि प्रपोजल भेजें। आप सभी को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके लिए जितनी धनराशि की जरुरत होगी, वह हम देंगे। इसके बारे में एक और मुद्दा जो उठाया गया, वह माइनॉरिटीज़ का था। मिरी जी ने एक मुद्दा मौलना आज़ाद फाउंडेशन का उठाया। मौलना आज़ाद फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो अल्पसंख्यक लोगों को विद्या के लिए, तालीम के लिए धनराशि देती है, ग्रान्ट्स देती है, वापिस कुछ नहीं लेना है। उसकी मेन स्कीम्स है, लड़कियों के लिए स्पेशल स्कूल बनाना और टेक्नीकल ऐजूकेशन के लिए धनराशि देना। मौलना आजाद फाउंडेशन में.....

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण: महोदय, मैं मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि जो मौलाना आज़ाद फाउंडेशन है, यह केवल हमारे माइनॉरिटीज़ के जो मुस्लिम भाई हैं, उनको ही अलॉटमेंट करता है या इससे दूसरे जो माइनॉरिटीज़ के लोग है, सिख्ख हैं, क्रिश्चयन है, पारसी हैं, वृद्ध हैं, उनको भी मिलता है? अगर मिलता है तो कितना मिलता है, नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है, यह बताएं।

श्री गोविन्दराम मिरी: महोदय, जो मैं प्रश्न पूछना चाहता था वह कल्याण जी ने पूछा है। आप बार-बार कहते हैं कि मैं टोकता हूं पर महोदय मैं यह जानना चाहता हूं, मैंने इसमें कहा है "वेलफेयर मीन्स वेलफेयर विदाउट ऐनी डिसक्रीमिनेशन" जहां तक मौलाना आज़ाद ऐजूकेशन फाउंडेशन इंस्टीट्यूट का मामला है, मेरे जानकारी के लिए मंत्री महोदय कृपया बताएं कि 30 करोड़ रुपया जो दिया जाता है, उसका पांच करोड़ सालाना ब्याज मिलता है। अब उसको बढ़ाकर, जब देवगौड़ा जी प्रधान मंत्री थे, उसको बढ़ाकर 70 करोड़ किया गया जिसका 12 करोड़ ब्याज आता है। जैसा कल्याण जी कह रहे थे, मैं जानना चाहता हूं कि माइनॉरिटीज में क्या खाली एक वर्ग विशेष आता है या उसमें सिख्ख भी आते हैं, क्रिश्चयन भी आते हैं, पारसी आते हैं और भी दूसरे लोग हैं? अगर आते हैं तो पिछले 9-10 साल में किस-किस वर्ग को कितना-कितना अलॉटमेंट दिया है, यह आप बताने की कृपा करें और नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया: उपसभाध्यक्ष महोदय, देश में एक नोटीफिकेशन जारी हुआ है, जिसके मुताबिक पांच धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं। मुस्लिम भाई, इसाई, सिख, बुद्ध, और पारसी। तो मौलाना आज़ाद ऐजूकेशन फाउंडेशन जैसा मिरी जी ने भी कहा है, कल्याण साहब ने भी कहा है, उसका उत्तर में बाद में दूंगा लेकिन मैं आपको थोड़ा बता दूं कि हम करना क्या चाहते हैं। हम यह समझते हैं कि मौलाना आज़ाद एक बहुत बड़े सैक्यूलर नेता भारत के थे और उन्होंने अपनी सारी जिन्दगी देश की आजादी के लिए अर्पित कर दी। वह पहले शिक्षा मंत्री बने। विद्या के लिए, तालीम के लिए उन्होंने अपने आपको वक्फ किया। इसलिए जो मैंने कहा कि मौलाना आज़ाद ऐजूकेशन फाउंडेशन के पास, मिरी जी ने ठीक कहा कि पांच करोड़ के लगभग रुपया आता है। इसके लिए जो विद्या में कमी है, अल्पसंख्यक वर्ग जो विद्या के तौर पर पिछड़ा हुआ है।.....

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटीज।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: हां, एजुकेशनली बेकवर्ड माइनारिटीज उसमें मुसलमान ही एजुकेशनली बेकवर्ड क्लास में आते हैं। जैसा कल्याण साहब ने कहा.....

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण: बाल्मिकी तो सबसे ज्यादा वीक हैं। ये एजुकेशन में भी पीछे हैं, बिजनिस में भी पीछे हैं। जहां पर मौलाना आजाद का नाम आयेगा तो हमारा सिर फख्र से ऊंचा होता है। वह गरीब लोगों

के लिए सोचते थे, वह पिछड़े लोगों के लिए सोचते थे, वह सफाई कर्मचारियों के लिए सोचते थे। अगर उनके लिए उनका यह फाउण्डेशन बना हुआ है.....

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण: उनके लिए, आप जरूर फण्ड रखें, सिखों के लिए फण्ड रखें। वह सिखों से प्यार करते थे, वह सबसे प्यार करते थे। इसलिए उनका जो फाउण्डेशन बना हुआ है वह बीकर सैक्शन्स के लोगों के लिए बना हुआ है। जो गरीब लोग हैं उन सबको एजुकेशन के लिए उससे इमदाद मिलनी चाहिए।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो एक कम्युनिटी ईअर मार्क हुई है, यह किसी न किसी सर्वे के बाद हुई होगी, काफी साल पहले हुई होगी। इसमें अगर और भी बेकवर्ड क्लासिज माइनारिटीज के रूप में शामिल हो सकती हैं, तो इसकी आप कोई जांच करवा लीजिए। दो-तीन कम्युनिटी के बारे में इनसेंटिव स्टडी करवा लीजिए और यदि वह इसके लिए एलिजेबल होती हैं तो फिर उनको भी शामिल करिए।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: सर, कल्याण साहब ने, भंडारी साहब ने और मिरी साहब ने जो कहा है उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि चूंकि मुस्लिम भाई ही विद्या के तौर पर पिछड़े हुए हैं इसलिए आज तक एजुकेशन के लिए धनराशि मुस्लिम भाइयों को ही दी गई है। किसी और अल्पसंख्यक समुदाय को नहीं दी गई है। अभी भंडारी साहब ने कहा — मैं कुछ दिन पहले .....(व्यवधान)...

श्री गोविन्दराम मिरी: इसके पीछे कारण क्या है?

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप पहले सुनिए।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: सर, मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं आपको पहले खुश-खबरी देना चाहता हूं, आप पहले थोड़ी खुश-खबरी ले लो उसके बाद नाराज हो जाना। खुश-खबरी यह है कि शुरू में यह रुपया पांच करोड़ था और फिर कुछ वर्ष पहले 30 करोड़ रुपया हुआ और वहीं पर रुक गया। मैंने पहले भी कहा कि मैं जिम्मेदारी को पहले समझता हूं। खाना-पीना बाद में है और जिम्मेदारी पहले है। मैंने इसकी धनराशि को बढ़वाने के लिए कुछ दौड़-धूप की, प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, जो भी मैंने किया, मैंने मौलाना आजाद एजुकेशन फाउण्डेशन की धनराशि को 30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर, जो सालों से रुकी हुई थी, उसको इसी साल बढ़ाकर 70 करोड़ रुपये करवा दिया है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह धनराशि विद्या पर ही खर्च होगी। आपकी यह बात सही है कि अभी तक हम सिर्फ एक ही समुदाय को एजुकेशन के लिए धनराशि देते हैं। लेकिन जैसा भंडारी जी ने कहा, हम उसको देख लेंगे परन्तु ज्यादा नहीं दे सकेंगे।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण: क्यों, उसमें क्या रीजन है न देने में?

श्री गोविन्दराम मिरी: आप जितना दे सकते हैं, वह तो दीजिए।.....

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): एजुकेशनली बेकवर्ड सैक्शन्स हैं, अमांग द माइनारिटीज, क्या आप उनको देंगे? यह सवाल है।

श्री गोविन्दराम मिरी: सर, एजुकेशन का सवाल नहीं है बल्कि कुछ लोग सोशली बेकवर्ड भी हैं।....

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): सोशली बेकवर्ड के लिए वह फाउण्डेशन नहीं है। वह कह रहे हैं कि वह एजुकेशनली बेकवर्ड के लिए गवर्नमेंट से डिक्लियर हैं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: मुझ से जो चेयर ने पूछा है, इस बारे में मैं यह कह सकता हूं, जो हकीकत है उसे में सामने रखता हूं और वह यह है कि यह बात बहुत जोर से उठती रही है कि एक ही जगह पर दे रहे हैं लेकिन मैं देश को कहना चाहता हूं कि आप इस हकीकत को भी मानिए कि मुसलमान भाई एजुकेशनली बहुत बेकवर्ड हैं। आप इस बात को जरूर मानिए। इसलिए उनके लिए यह किया गया है। यह जो मुद्दा आपने आज उठाया है और उस दिन भी उठाया था उसमें आपने पूछा है कि क्या दूसरी कम्युनिटीज़ को भी एजुकेशन के लिए सहायता देंगे? मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई इक्का-दुक्का खास केस आयेगा तो उस पर हम गौर कर लेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): मंत्री जी, आप जो करोड़ों रुपये का हिसाब बता रहे हैं तो क्या यह एनुअल ग्रांट है या यह कारपस फण्ड है और इसको बैंक में रखकर ही क्या आप इसके इन्टरेस्ट से ही ग्रांट देंगे, इसको आप स्पष्ट कर दीजिए?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: महोदय, 70 करोड़ रुपये का लगभग 11.50 करोड़ रुपये ब्याज मिलता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): तो ब्जाय के पैसे देंगे?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: वह ब्जाय ही हम देते हैं लेकिन यह बहुत बड़ी रकम है। हमने कई चीजों की हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप जरा इस प्रश्न पर भी ध्यान दें कि ये कॉरपस फंड कैसे हुआ, क्रिएक कैसे हुआ, यह भी बतायें कि कितने साल पहले से शुरू हुआ, उस समय क्या एसेसमेंट था। तो पहले यह कॉरपस फंड कैसे शुरू हुआ? अभी आप बता रहे थे कि इसको 70 करोड़ किया है तो इनिशियली पैसा कहां से आया?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: सन् 1989 में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जन्म शताब्दी पर इसको शुरू किया गया था। इसके बाद आगे फिर कई चीजों की स्कीमें आती रहीं फिर 5 करोड़ रुपया सरकार ने शुरू में दिया था फिर कुछ समय बाद 25 करोड़ रुपया दिया फिर यह 30 करोड़ रुपये पर आकर रुका रहा। हमने इसको बढ़ाकर 70 करोड़ रुपये कर दिया है। मैं इतना ही कह सकता हूं, एक बात रह गई है जिस पर आपने बहुत गम्भीर मुद्दा उठाया है, मिरी साहब ने भी, कल्याण साहब ने भी और भंडारी जी ने भी एक रेफरेंस दिया है और सर आपने भी पूछा है। बात यह है सर, चूंकि पैसा 11 करोड़, 11.50 करोड़ रुपया हो गया, हम चाहते हैं कि यह पैसा उसके हकदार को ही मिले। पंजाब में मलेर कोटला में एक मुस्लिम गर्ल्स स्कूल है। पिछले 35-40 वर्षों से उसमें न दीवार है, कुछ नहीं है। हमने उसका पूरा आंकलन किया, अब उसको 33,60,000 रुपया दे रहे हैं। इस तरह से कुछ समय पहले जो कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें बड़े-बड़े मुस्लिम विद्वान श्री आबिद हुसैन जैसे लोगों ने कहा कि 25 प्रतिशत दूसरी कम्युनिटी के लिए कर दो और 75 प्रतिशत मुसलमान भाइयों के लिए कर दो। सच्ची बात थी, मैंने नहीं माना कि यह ज्यादा है। इतना कर सकते हैं क्योंकि क्रिश्चियन्स में भी तालीम है लेकिन कल्याण साहब ने दलित क्रिश्चियन्स की बात कही है, सिखों में भी मैं जानता हूं कुछ ऐसा ही है, बुद्धों में भी ऐसा है, कुछ न्यू बैद्धिष्ठ का भी है। मैं वायदा नहीं करता वहां यह विचार आया था कि 25 परसेंट कर दो, जिसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैं उसका अध्यक्ष हूं। अब कुछ न हम उसका केस बाई केस, जैसा आपने कहा है स्टडी करा लेते हैं तो यह भी कमेटी में रख लेंगे। अगर कोई एक-दो जो बहुत ही खास केस होंगे तो हम उन पर सहानुभूति से विचार करके करा लेंगे।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण: वाइस चेयमैन साहब, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उनके दिल में गरीबों के लिए तड़प तो है और उन्होंने दूसरे बहुत से वायदे किये हैं कि हम इनको पूरा कर जायेंगे। लेकिन 12 हजार और 7 हजार की इन्होंने गिनती बताई है कि ये लोग शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी में शामिल होना चाहते हैं लेकिन अब जो मौलाना आजाद साहब उनका फंड है जो सारी उम्र इन गरीबों के लिए लड़ते रहे हों, इनकी गरीबी दूर करते रहे हों। जो एज्युकेशन में सबसे ज्यादा पिसे हुए लोग हैं वे शैड्यूल्ड कास्ट मजहबी सिख, खरब, सफाई कर्मचारी, रविदासिया सिख वह हैं। दूसरी कौम पारसी तो पहले ही बहुत ज्यादा एज्युकेटिड है अब उनको भी इसमें शामिल कर लिया है, ये कहां का चिट्ठा है, ये कहां की सिताकत है, ये कहा की सच्चाई है। उनके लिए आप कहते हैं कि मैं सोचूंगा। मंत्री साहब आप जानते हैं कि गांव में कितने-कितने लोग इलेट्रेड शैड्यूल्ड कास्ट के रूढ़ियों पर बैठे हैं। उनको किसी कॉन्वेन्ट स्कूल में दाखिला नहीं मिलता है, किसी पब्लिक स्कूल में दाखिला नहीं मिलता। वे गांव में अब भी इलिटरेट हैं। लेकिन आप पारसियों की बात कर रहे हैं। मैं किसी से डिसक्रिमिनेशन की बात नहीं करता। ये सब मुसलमान लोग मेरे भाई हैं, सब पारसी लोग भी मेरे भाई हैं लेकिन मंत्री साहब हमारी मांग आपसे बड़े अदब से सत्काल से यह कहना चाहता हूं कि ये सफाई कर्मचारी हैं जिसके लिए हम हर वक्त बोलते रहते हैं कि आजादी के 50 साल गुजरने के बाद भी समाज में सिर पर गंदा उठाकर वे अपनी भूख की आग को बुझा रहे हैं। आप जरा देखिये और सोचिये। आपने यह भी नहीं बोला कि सफाई कर्मचारियों के लिए यूनिफार्म होनी चाहिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): डिस्कशन मत कीजिये। आपने स्लिप भेजी है कि आप डिस्कशन में हिस्सा लेना चाहते हैं। डिस्कशन कम्पलीट हो गया है। अगर आप अभी सवाल पूछना चाहते हैं तो लिखकर भेज दीजिये।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण: सर, मैं यही कहना चाहता हूं कि मंत्री साहब आप कृपा करके इन लोगों को जो सिख है, बुद्ध हैं, सफाई कर्मचारी हैं, मजहबी सिख हैं, उनको भी उसमें शामिल करने की मेहरबानी कीजिये, यही मेरी आपसे गुजारिश है।

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि माननीय भंडारी जी ने जो सुझाव दिया है कि जो आधार मुस्लिम भाइयों के लिए है अगर वहीं आधार पर दूसरे भी इलिजिबल हैं तो उनको भी दिया जाए, वह ठीक बात है, लेकिन मैं देख लूंगा, यह क्या होता है? आपको उन सब को देना चाहिए जो मुस्लिम भाइयों की श्रेणी में आते हैं। वही श्रेणी में बुद्ध आते हैं, सिख भी आ जाते हैं चाहे थोड़े हों या ज्यादा हों। आपको इस आधार पर स्वीकार करना चाहिए। देखूंगा नहीं बल्कि जितने भी आते हैं आप उनको दीजिए।

श्री गोविन्दराम मिरी: महोदय, तभी माइनारिटी का अर्थ सही होगा। ...**(व्यवधान)**

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM (TAMIL NADU): Sir, certain people from Tamil Nadu have settled in Mumbai and have been living there for the last so many years. They belong to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category. When they apply for a community certificate, the Mumbai Corporation does not issue the certificate to them. Scheduled Castes and Scheduled Tribes are notified by the Government of India, but the Mumbai administration has not issued any certificate till date. The Scheduled Caste and Scheduled Tribe children of Tamil Nadu origin living in Mumbai are not getting admission because of this. I have put a specific question to the Hon. Minister during the discussion and I would like to know a remedy for this.

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: I will just attend to your question about the issue of certificates. I will take it up later on. First let me reply to the hon. Members about the Maulana Azad Foundation Fund.

सर, मैं एक अर्ज करूं कि मौलाना आजाद फाउंडेशन फंड को हम इस तरह से लें कि यह एक ऐसे भाईचारे जिसके पास विद्या के साधन कम हैं, उनके लिए बनाया गया है। एक तो सरदार मोहिन्दर सिंह कल्याण जी ने सिख भाईचारे की बात कही, मिरी साहब ने कहा और माननीय नारायण प्रसाद गुप्ता जी ने भंडारी जी के सुझाव का जिक्र करते हुए कहा, तो मेरे ख्याल में हम ऐसा इंप्रेशन न दे दें कि जैसे मौलाना आजाद फाउंडेशन का कोई कम्युनल रंग है और एक ही धर्म को दे रहे हैं। इससे थोड़ा बचने की जरूरत है, क्योंकि पहले ही लोग मुझे कह रहे हैं कि आप एक ही धर्म...**(व्यवधान)**

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता: हमारे हिसाब से ही बचेगा, आपके हिसाब से तो बच नहीं सकता। ...**(व्यवधान)**

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण: आप तो खुद कह रहे हैं कि हम उनको ही दे रहे हैं। हम इनको ठीक कर रहे हैं कि उनको भी दो जो वीकर सेक्शन के इलीट्रेट लोग हैं।...**(व्यवधान)**

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता: मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको उसको स्वीकार करना चाहिए।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: सर, अभी मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने कहा है कि कमेटी की मीटिंग हुई थी मौलाना आजाद फाउंडेशन की, उसमें खुद कुछ भाइयों ने कहा, लेकिन फिर सारी बात को देख कर हमने कहा कि हम उसका कुछ प्रतिशत, इतने प्रतिशत गैर मुस्लिम को जाएगा, इतने प्रतिशत मुस्लिम को जायेगा, वह तो कर नहीं सकते, लेकिन भंडारी जी की जो बात है वह बात मैं स्वीकार करता हूं कि हम इसको स्टडी करा लेंगे। दूसरी बात सरदार मोहिन्दर सिंह कल्याण कहते हैं सिर पर मैला ढोने वालों की विद्या के लिए तो उसके लिए मैंने पहले कह दिया है। आप यह मानिए कि सिखों में इस समय सिर पर मैला ढोने वाले नहीं हैं। विद्या में पिछड़े भले ही हो सकते हैं। मजहबी सिख विद्या में बहुत पिछड़े हुए हैं। दूर भटिंडा इलाके में या सहारनपुर के कुछ जंगलों में रहने वाले सिख, कुछ आसाम के गांवों में रहने वाले सिख, वे विद्या में जरूर पीछे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आप इसको दुरुस्त कीजिए, आपकी जो फिक्रमंदी है वह दूसरी तरफ हम ध्यान देंगे। अभी तो मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि हम इसकी स्टडी करा लेंगे और अगर दूसरे जो बहुत पिछड़े वर्ग होंगे तो उनके केस भी एजुकेशनली बैकवर्ड के तौर पर देख लेंगे।

अब आनरेबल, मैंबर ने सर्टिफिकेट्स की बात कही। यह बात ठीक है कि सर्टिफिकेट्स इश्यू करने में बहुत प्राब्लम आ रही है।

There are people who are facing hardships becaue they are not being

issued the community certificates, though many communites in one State of India are included in certain lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, whereas the same communities are excluded somewhere else.

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: Regarding issuing of certificates, I have already addressed to it. You are certainly right that certificates are not being issued. There are complaints about it. I will certainly take it up. If the hon. Member has any specific problem with the Government of Maharashtra or with the officials of Mumbai, he can send it to us and we will take it up with them.

Sir. I have tried my best to reply to all the issues raised by hon. Members. ..*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): कनक्लूड तो करने दीजिए।

श्री ईश दत्त यादव: बस, बहुत हो गया।

SHRI GOVINDRAM MIRI: I have one minor point. I referred to the Report of the Ministry of Welfare, Demands for Grants, 1996-97, Annexure-II, para 2.2.2 wherein it has been stated and I quote:

उपसभाध्य (श्री मोहम्मद सलीम): आप का कोई सवाल हो तो कर लीजिए डिस्कसन नहीं कर सकते।

SHRI GOVINDRAM MIRI: Sir, I am putting the question.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): You put your question.

SHRI GOVINDRAM MIRI: There is a mention that the Committee has regretted about the non-seriousness on the part of the Government and this Government is not encouraging the SC/ ST candidates for higher studies abroad. This is the finding of the Committee. The reason given for it was non-availability of the Chairman of the Selection Committee which was to be completed within three years.

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): मंत्री जी जवाब दीजिए। आप जवाब सुन लीजिए।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: सर, माननीय सदस्य जिस माननीय समिति का जिक्र कर रहे हैं, वह रिकॉर्ड के मुताबिक ठीक है, लेकिन मैंने चैयरमेन बना दिया है।

फिर आप ने कहा कि एनकरेज नहीं कर रहे। तो मैं ने यह कहा कि आप मुझे गाइड करें। मैं ने आपसे गाइडेंस मांगा है।

श्री गोविन्दराम मिरी: कारण बताया कि चैयरमेन नहीं है, इसलिए।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: मिरी साहब, मैंने उसको एड्रेस कर लिया है कि एनकरेज नहीं करते।

तो मैं सभी माननीय सदस्यों को बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, यह बहस बहुत खूबसूरती से शुरू हुई थी, जिसे माननीय भंडारी साहब ने शुरू किया था, उस में सभी माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया और अभी भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार बहुत खूबसूरती से व्यक्त किये। तो बहुत खूबसूरती से इस डिबेट का अंत हो और हम देश के इन वर्गों की सेवा कर सकें, अपने इसी जवाब के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Vice-President's Pension Bill, 1997

SECRETARY-GENERAL: Mr. Vice-Chairman, Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

> "In accordance with the provision of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Vice-President's Pension Bill, 1997, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 14th May, 1997.
>
> 2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table:

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान): एम०पीज०/एम०एल०एज० का नहीं हुआ?